

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,  
गुमला।

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

विषय :-

दिनांक-23.10.2021 को कर्तव्य निर्वहनरत सेना के जवान (बिहार रेजीमेन्ट) स्व० सुनील लकड़ा, पिता-श्री ईश्वर लकड़ा, ग्राम-गोबीटोली, पोस्ट-लुरु, थाना-रायडीह, जिला-गुमला की आश्रित पत्नी श्रीमती मधुवाणी लकड़ा को विशेष अनुग्रह-अनुदान कुल रु० 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

इस विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-253, दिनांक 18.10.2023 के आलोक में उपर्युक्त विषय के अनुरूप कुल रु० 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थापना बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-092-अन्य कार्यालय-02-स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S20520009202000649 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गुमला अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, गुमला से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्रित को भुगतान की गयी राशि से संबंधित महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को विहित प्रपत्र में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि गृह विभाग को अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरवा राजकमल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 04/सहा०अनु० (3)-101/2019 .....

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 04/सहा०अनु० (3)-101/2019 ...../

राँची, दिनांक- 15/03 /2024 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रशाखा-18, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



आवटन आदेश

झारखंड सरकार


Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/SA(3)-101/19/179

दिनांक - 15-Mar-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 20520009202000649 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 00 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 - अन्य कार्यालय 02 - स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्यद - मुख्यालय प्रभार 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure	94319	GMLDAD009 LALAN KUMAR RAJAK N. D. C. GUMLA 49 - आर्थिक सहायता	1,000,000.00 रुपये दस लाख
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		



योग: रुपये दस लाख

1,000,000.00

क्रमिक योग:

(ARAVA RAJKAMAL)  
SECRETARY